

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-08/2020-21

पनवा देवी प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका पनवा देवी, पति- भुनेश्वर ठाकुर, साकिन- गैंडा, पो0- जरमुने, थाना- विष्णुगढ, जिला- हजारीबाग द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 228 R27/2019-20 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
जरमुने	108	170	5058	0.91 डी0
		170	5059	1.33 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या 228 R27/2019-20 में दिनांक 25.06.2020 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक द्वारा संलग्न खतियान की प्रति अपठनीय है जिसके कारण नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा न्यायालय में अपील वाद दायर कर उक्त भूमि से संबंधित केवाला, खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 228 R27/2019-20 में दिनांक 25.06.2020 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)